पत्रांक–3/एल–02–40/2017–

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

जगदीश कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

डा0 शशि भूषण प्रसाद,
चिकित्सा पदाधिकारी,
विधायक अस्पताल, पटना ।

पटना, दिनांक :

विषयः **दिनांक 26.12.2017 से 12.01.2018 तक विदेश (यू0एस0ए0)** जाने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपका आवेदन दिनांक 04.10.2017 के प्रसंग में नियमानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ **दिनांक 26.12.2017 से 12.01.2018 तक विदेश (यू0एस0ए0)** जाने की अनुमति प्रदान की जाती हैः–

1) अवकाश अवधि का विस्तार अनुमान्य नहीं होगा ।
2) प्रवास के दौरान धनोपार्जन हेतु अपने पेशे का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा ।
3) यह यात्रा बिल्कुल निजी होगी तथा किसी भी तरह का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
4) सभी तरह का व्यय स्वयं वहन करना होगा ।
5) प्रवास के दौरान किसी भी तरह का लेखे का भुगतान प्राप्त नहीं किया जायेगा।
6) प्रवास से लौटने पर पुनः यथावत अपना योगदान करेंगे ।
7) डा0 प्रसाद मुख्यालय छोडने के पूर्व अपने नियंत्री पदाधिकारी/विभाग को यू0एस0ए0 प्रवास के दौरान सम्पर्क का पता एवं सम्पर्क नम्बर एवं पासपोर्ट/वीजा की छाया प्रति उपलब्ध करायेगे ।

विश्वासभाजन

ह0/–

(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक : 3/एल–02–40/2017– 740(3) /स्वा0, पटना, दिनांक : 15/12/2017

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : निदेशक प्रमुख(प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाऍ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सिविल सर्जन, पटना/ क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऍ, पटना प्रमंडल पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, विधायक अस्पताल, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, एवं 17 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी

D:\Old System Data\New folder\2017\NOC Letter & Notification-28.3.2017.docx

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

<u>अधिसूचना</u>

<u>फैक्स/ई–मेल</u>

पटना, दिनांक / /2017

संख्या–3/विविध–83/2017– /स्वा0, डा0 नवल किशोर ओझा, सिविल सर्जन, अररिया को बिहार कोषागार संहिता संशोधन, 2011 के नियम 84 के तहत अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय अररिया का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है ।

2. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अररिया के नियमित पदस्थापन होने के बाद यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा ।

4. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

5. इस संबंध में पूर्व से निर्गत सभी आदेश को अवक्रमित समझा जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–3/विविध–83/2017– 739(3) /स्वा0, पटना, दिनांक 15/12/2017

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा) वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/जिलाधिकारी, अररिया/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/डा0 नवल किशोर ओझा, सिविल सर्जन, अररिया/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 3, 7, 8, 9,10 एवं 12/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

15/12/17

विशेष कार्य पदाधिकारी

D:\Old System Data\New folder\2017\Notification 7.1.2017.docx